उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–274/XXIV–4/1(3) 2010,
देहरादूनः दिनांक 18 सितम्बर, 2013.

## अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ट–"क" का संशोधन

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 जिन्हें यहां आगे मूल विनियम कहा गया है, के अध्याय–दो परिशिष्ट–क के उप विनियम (3) के पश्चात उप विनियम (4) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः–

(4.) "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के अधीन तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ जूनियर हाईस्कूल के संस्था प्रधान/अध्यापकों की नियुक्ति एवं पूर्व प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की मान्यता के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/किये जाने वाले संशोधनों को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं अधिनियम के अधीन प्रख्यापित विनियम, 2009 में यथासमय एवं यथास्थान उक्त सीमा तक स्वतः ही संशोधित समझा जायेगा।

विनियम 18 (क) का संशोधन

2. मूल विनियम, 2009 के अध्याय–दो के विनियम 18 (क) के पश्चात् उप विनियम (18) (क) (1) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थातः–

18(क) (1) जिन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों को आउट सोर्सिंग द्वारा भरे जाने का प्राविधान है, उन संस्थाओं में इन पदों को आउट सोर्सिंग से भरे जाने हेतु वही नियम/शर्तें होगी जो कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में लागू होगें तथा समय–समय पर प्रतिस्थापित किए जायेगें।

विनियम 2(1) का संशोधन

3. मूल विनियम, 2009 अध्याय–तीन के विनियम (2) (1) के पश्चात उप विनियम (2) (1), (क) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः–

(2) (1) (क) किसी संस्था में आउट सोर्सिंग से भरे जाने वाले लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता व न्यूनतम और अधिकतम आयु वही होगी जो राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों हेतु समय–समय पर निर्धारित की गयी हों।

विनियम 8 का संशोधन

4. मूल विनियम, 2009 के अध्याय–सात में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान विनियम<br>अध्याय– सात (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता)<br>विनियम 8 | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम<br>अध्याय– सात (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता)<br>विनियम 8 |
|---|---|
| 8. संस्थाओं को मान्यता केवल हिन्दी माध्यम से शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। | 8. वित्त विहीन संस्थाओं को मान्यता हिन्दी/अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यमों से प्रदान की जायेगी। हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त सवित्त /अनुदानित विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि वे इस हेतु संसाधनों/अध्यापकों की व्यवस्था अपने निजी स्रातों से ही करेगें तथा विभाग/शासन से पद सृजन एवं अनुदान की मांग नहीं करेगें। |

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–274/(1)1(3) 2010/XXIV–4/2013, तददिनांकित। 18/9/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा धिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आ0के0तोमर)
उपसचिव।